

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग
आदेश

2046
22/10/14

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित डा० भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-660 दि०-08.02.99 द्वारा निर्गत दिनांक 01.01.1996 से लागू पंचम पुनरीक्षित वेतनमान तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दि०-21.01.10 द्वारा निर्गत दि०-01.01.2006 से लागू षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि(2) 2003 द्वारा राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-7566 दि०-14.07.2010 द्वारा निर्गत रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय रूपांतरित वित्तीय योजनान्तर्गत देय वेतनमान/ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

2-वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरांत मैट्रिक, प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का 12/24 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत कट अप-डेट 09.08.99 से निम्न प्रकार वेतनमान अनुमान्य होगा जो निम्नवत् है:-

क्र०	ए०सी०पी० की संख्या	देय वेतनमान(अपुनरीक्षित)	देय वेतन बैंड एवं ग्रेड पे
1	मूल कोटि	4500-7000(अपुनरीक्षित)	9300-34800 / -+ग्रेड पे-4200 / -
2	प्रथम ए०सी०पी०	5500-9000(अपुनरीक्षित)	9300-34800 / -+ग्रेड पे-4600 / -
3	द्वितीय ए०सी०पी०	7500-12000(अपुनरीक्षित)	9300-34800 / -+ग्रेड पे-4800 / -
4	तृतीय एम०ए०सी०पी०	01.01.2009 से पी०बी०03-5400	9300-34800 / -+ग्रेड पे-5400 / -

पुनः रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना(MACP) के अधीन 10, 20, एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात निम्न प्रकार ग्रेड पे अनुमान्य होगा जो निम्नवत् है:-

क्र०	ए०सी०पी० की संख्या	देय वेतन बैंड एवं ग्रेड पे
1	मूल कोटि	पी०बी०02- 9300-34800 / -+ग्रेड पे-4200 / -
2	प्रथम एम०ए०सी०पी०	पी०बी०02- 9300-34800 / -+ग्रेड पे-4600 / -
3	द्वितीय एम०ए०सी०पी०	पी०बी०02- 9300-34800 / -+ग्रेड पे-4800 / -
4	तृतीय एम०ए०सी०पी०	पी०बी०02- 9300-34800 / -+ग्रेड पे-5400 / -

2-जो शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, उनके प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने की तिथि से प्रोन्नति के वेतनमान में ए०सी०पी० देय होगा एवं प्रशिक्षण पूर्व उन्हें प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान 5000-8000 (अपुन०) तथा द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान 5500-9000(अपुन०) देय होगा।

3-प्रस्ताव में वित्त विभाग/विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक-2/शि०स्था० विविध-60-02/2012-

2046

पटना, दिनांक- 22/10/14

प्रति०-सभी संबंधित कोषागार/निदेशक/सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/22/14
सरकार के विशेष सचिव

8/22/14
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2/शि०स्था० विविध-60-02/2012- 2046 पटना, दिनांक- 22/10/14
प्रति०-सभी उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कायार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश आलोक में अनुमान्य
ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० तथा संशोधित वेतनमान की स्वीकृति निमित्त प्रस्ताव विभाग को भेजना
सुनिश्चित करेंगे। प्रस्ताव के स्वीकृत के पश्चात ही उन्हें आर्थिक लाभ भुगतेय होगा।

22/10/14
सरकार के विशेष सचिव